अपील

जैसा कि आप सभी अवगत है, कि हमारे देश में दिनांक 14.04.2020 तक कोविड–19 संकामक बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस समय इस बीमारी को रोकने के लिए समाजिक अलगाव Social Distancing का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ समाज के कमजोर वर्ग जैसे कि निशक्त जन, असंगठित श्रमिक, द्विव्यांग इत्यादि ऐसे लोग जिन्हे जीवन–यापन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हे भी समय पर भोजन एवं अन्य मदद पहुँचाना आवश्यक है। यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि संकट की इस घड़ी में इस नेक कार्य हेतु समाज के सभी वर्गो, स्वंयसेवी सस्थाओं एवं माननीय जन प्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। किन्तु इसके साथ ही यह भी देखने में आ रहा है कि भोजन एवं अन्य सामग्री प्राप्त होने की सूचना पर एक ही स्थान पर ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने से सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन नही हो रहा है तथा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार सहायता पहुॅच जा रही है जिससें अन्य जरुरतमंद इससे वंचित हो सकते है। यह अत्यन्त ही खतरनाक स्थिति है। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकिया को व्यवस्थित ढ़ंग से कियान्वित किया जावें। इस कार्य हेतु रायपुर जिले के लिये नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डॉ. गौरव सिंह मो 9669577888 को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जिला के कन्ट्रोल रुम 0771–4055574 से भी आपालकालीन आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः समस्त माननीय जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं समाज के सभी वर्गो से अनुरोध है कि यदि वे समाज के कमजोर वर्गो के लिए नगद, सामग्री या किसी अन्य प्रकार से कोई सहायता देना चाहते है तो वे सीधे जरुरतमंदों से सम्पर्क न कर यह कार्य प्रशासन के सहयोग से करें। इससें न सिर्फ समाज के कमजोर वर्गो एवं जरुरतमंदों को समय पर सहायता पहुॅचाई जा सकेगी बल्कि सोशल डिस्टेसिंग का पालन कर कोरोना वायरस (कोविड–19) के फैलाव को भी रोका जा सकेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोरोना वाईरस के फैलाव को रोकने हेतु सोशल डिस्टेसिंग के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का आदेशित किया गया है। अतः समाज के समस्त वर्गों से अपील की जाती है कि वे सीधे जरुरतमंदों से सम्पर्क करने के स्थान पर प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। सोशल डिस्टेसिंग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही के आदेश है।

आप सब से पुनः अनुरोध है कि सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें एवं कोरोना वायरस (कोविड–19) के फैलाव को रोकने में हमारी मदद करें।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
रायपुर

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
रायपुर

Office of the District Magistrate ★ RAIPUR (C.G.) ★

Scanned by CamScanner